न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद पत्र संख्या 126/2024 GCMS NO. 2024/341 उनवानी चावली देवी आदि बनाम मदनलाल आदि अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 बाबत नाम दुरूस्ती	
12.11.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण के निवेदन पर बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। वादीगण ने हस्तगत वाद पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा है ग्राम श्यामपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या 173 के खसरा नम्बर 191 रकबा 0.19 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 193 रकबा 0.65 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 195 रकबा 0.57 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.41 हेक्टेयर में दर्ज वादीगण के पति/पिता का नाम रामोतार पुत्र मंगला जाति जोगी हजफ किया जाकर उसके स्थान पर ताराचन्द पुत्र मंगलनाथ जाति जोगी घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि राजस्व ग्राम श्यामपुरा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 173 में वादीगण के पति/पिता नाम रामोतार पुत्र मंगला दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के समस्त पहचान दस्तावेजात् में ताराचन्द पुत्र मंगलनाथ दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार खेतड़ी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि वादीगण के पहचान दस्तावेजों में ताराचन्द पुत्र मंगलनाथ दर्ज है। तहसीलदार खेतड़ी ने रामोतार पुत्र मंगला के स्थान पर ताराचन्द पुत्र मंगलनाथ शुद्ध करने की अभिशंषा की है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2024/2358 दिनांक 08.07.2024 में की गई अनुशंषा के आधार पर वादीगण का हस्तगत वाद पत्र स्वीकार कर हाल राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा **–: आदेश :–** अतः वादीगण का हस्तगत वाद पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का नंगली सलेदीसिंह की हाल जमाबन्दी संवत 2073–2076 के हाल खाता संख्या 173 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि **रामोतार पुत्र मंगला** के स्थान पर **ताराचन्द पुत्र मंगलनाथ** शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी को राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो, तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। [illegible] अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (बन्शी धर योगी) उपखण्ड अधिकारी खेतडी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला-नीमकाथाना (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dha
Date: 2024.12.09 17:21:34 IST
Reason: SelfAttested